बअदालत अनुमंडल पदाधिकारी गोड्डा

पी0ए0 केश नं0–14/2018–19
घनश्याम मांझी
बनाम्
रैयान मौजा कनवरा

20/9/19

–: आदेश :–

आवेदक घनश्याम मांझी पेसर स्व0 हरिहर प्रसाद मांझी साकिन–कनवरा, अंचल–गोड्डा जिला–गोड्डा के आवेदन पर अंचलाधिकारी गोड्डा के पत्रांक–822/रा0, दिनांक–27.05.19 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा कनवरा के प्रधान हरिहर प्रसाद मांझी थे। आवेदक घनश्याम मांझी पूर्व प्रधान हरिहर प्रसाद मांझी के ज्येष्ट पुत्र है। इस मौजा के प्रधानी पद पर नियुक्ति के लिए अन्य किसी के द्वारा आवेदन नहीं किया है। अंचल अधिकारी गोड्डा ने आवेदक घनश्याम मांझी को मौजा कनवरा का प्रधान नियुक्ति के लिए संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 06 के तहत् अनुशंसा किया है।

मौजा के सौलह आना रैयतों को आपत्ति हेतु नोटिश का तामिला कराया गया। कही से किसी प्रकार का कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। इससे स्पष्ट होता है कि आवेदक मौजा के रैयतों को समान्तया स्वीकार योग्य है।

अतः अंचल अधिकारी गोड्डा के अनुशंसा के आधार पर संथाल परगना कास्तकारी (पूरक) अधिनियम–1949 की धारा 06 के तहत् उत्तराधिकारी के आधार पर आवेदक घनश्याम मांझी पेसर स्व0 हरिहर प्रसाद मांझी साकिन–कनवरा, अंचल–गोड्डा, जिला–गोड्डा को मौजा–कनवरा, थाना नं0–376 का प्रधान नियुक्त किया जाता है। उन्हें आदेश दिया जाता है कि एक साल का खजाना बतौर जमानत की राशी कोषागार में जमा कर चलान की प्रति के साथ कबुलियत दाखिल कर पट्टा प्राप्त करें।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

अनुमंडल पदाधिकारी
गोड्डा।

अनुमंडल पदाधिकारी
गोड्डा।

30/9/19 नवनियुक्त प्रधान के द्वारा जमानत की राशि का कोषागार चालान की प्रति के साथ कबुलियत दाखिल किया गया है। पट्टा हस्ताक्षरित। निर्गत करें।

13
4.10.19